अतिमहत्वपूर्ण
संख्या–1633/15–05–2026–1601(696)/2019

प्रेषक,

पार्थ सारथी सेन शर्मा,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

शिक्षा निदेशक (माध्यमिक),
उ0प्र0, प्रयागराज।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–05 लखनऊः दिनांक23नवम्बर, 2026

विषयः–मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद, खण्डपीठ लखनऊ में योजित रिट याचिका सं0–8262/2024 मनोज कुमार सिंह व अन्य तथा 189 सम्बद्ध अन्य रिट याचिकाओं में पारित आदेश दिनांक–24.08.2026 के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद, खण्डपीठ लखनऊ में योजित रिट याचिका सं0–8262/2024 मनोज कुमार सिंह व अन्य तथा 189 सम्बद्ध अन्य रिट याचिकाओं में पारित आदेश दिनांक–24.08.2026 का कियात्मक अंश निम्नवत् हैः–

"....**10.4.**In such circumstances, the order dated 09.11.2023 and the order dated 08.07.2024, which are contrary to each other, are in violation of the provisions of the Act, 1921 as well as the Act, 1923. Therefore, both the orders dated 09.11.2023 and 08.07.2024 are hereby ***set aside*** with the direction to the State Government to issue fresh orders in consonance with the provisions of aforesaid Acts.

10.5. Moreover, this Court is also of the considered view that once there are substantive posts vacant in the grant-in-aid Institutions, the question of making appointments on honorarium basis does not arise and, therefore, the State Government may issue fresh policy for the stop gap appointment of teachers by the Appointing Authority, on the recommendation of the Commission with payment of the minimum of pay scale applicable to the substantive post alongwith admissible allowances, for temporary purposes, until a regularly selected candidate is available, for smooth functioning of teaching in grant-in-aid school.

11. With the above observations and directions, all the writ petitions are ***allowed***.

12. However, there is no order as to costs."

2– उल्लेखनीय है मा0 सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली में योजित सिविल अपील संख्या–8300/2016 संजय सिंह व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक–26.08.2020 में भारतीय संविधान के अनुच्छेद–142 का प्रयोग करते हुए निर्णय पारित किया गया। उक्त निर्णय में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा तदर्थ शिक्षकों को उनकी सेवा के आधार पर भारांक प्रदान कर चयन बोर्ड की परीक्षा में शामिल करने के आदेश

दिये गये। उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के विज्ञापन सं0–01/2021 एवं 02/2021 में मा0 सर्वोच्च न्यायालय के उक्त आदेश दिनांक–26.08.2020 का अनुपालन सुनिश्चित किया गया, जो शिक्षक उक्त परीक्षा में अन्तिम रूप से चयनित हुए उन्हें संस्था में मौलिक नियुक्ति प्रदान कर दी गयी है। शेष तदर्थ शिक्षको(2000 से पूर्व एवं 2000 के पश्चात) को शासनादेश सं0–2373/15–05–2023–1601(696)/2019, दिनांक–09.11.2023 निर्गत करते हुए सेवायें समाप्त कर दी गयी तथा इन सेवा समाप्त शिक्षकों हेतु शासनादेश सं–1045/15–05–2024–1601(696)/2019 दिनांक–08.07.2024 द्वारा मानदेय की व्यवस्था लायी गयी।

3– उक्त शासनादेशों को प्रश्नगत रिट याचिका सं0–8262/2024 मनोज कुमार सिंह व अन्य तथा 189 सम्बद्ध अन्य रिट याचिकाओं में चुनौती दी गयी, जिसमें पारित आदेश दिनांक–24.08.2026 के पैरा–10.4 में शासनादेश दिनांक–09.11.2023 एवं शासनादेश दिनांक–08.07.2024 को ***set aside*** करते हुए राज्य सरकार को नवीन आदेश पारित करने के आदेश दिये गये हैं।

4– उल्लेखनीय है कि मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद, खण्डपीठ लखनऊ में योजित रिट याचिका सं0–2095/एस0एस0/2000 राकेश चन्द्र मिश्रा बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य तथा सम्बद्ध अन्य रिट याचिकाओं में पारित आदेश दिनांक–16.09.2004 में इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 की धारा–16ई(11) के सम्बन्ध में विधिक स्थिति स्पष्ट की गयी है। उक्त के कम में मा0 न्यायालय द्वारा अवधारित किया गया है कि इण्टरमीडिए शिक्षा अधिनियम, 1921 की धारा–16ई(11) के तहत की गयी ऐसी नियुक्ति, जो तत्कालीन अधिनियम/विनियमों का पालन करते हुए नियमानुसार की गई हो, नियमित रूप से चयनित अभ्यर्थी के उपलब्ध होने तक जारी रखी जा सकती है तथा उन्हें वेतन देय होगा, किंतु यह नियुक्ति नियमित नियुक्ति का विकल्प नहीं हो सकती और नियमित चयनित अभ्यर्थी के उपलब्ध होते ही उसका अधिकार समाप्त हो जाएगा। उक्त के अतिरिक्त मा0 न्यायालय द्वारा यह भी स्पष्ट किया है कि निर्धारित नियमों, पात्रता अथवा आरक्षण का उल्लंघन कर की गई तदर्थ/अल्पकालिक नियुक्ति कोई विधिक अधिकार, वेतन अथवा सेवा में निरन्तरता का अधिकार प्रदान नहीं करती है।

5– अतः मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद, खण्डपीठ लखनऊ में योजित रिट याचिका सं0–2095/एस0एस0/2000 राकेश चन्द्र मिश्रा बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य तथा सम्बद्ध अन्य रिट याचिकाओं में पारित आदेश दिनांक–16.09.2004 के आलोक में, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद, खण्डपीठ लखनऊ में योजित प्रश्नगत रिट याचिका सं0–8262/2024 मनोज कुमार सिंह व अन्य तथा 189 सम्बद्ध अन्य रिट याचिकाओं में पारित आदेश दिनांक–24.08.2026 के अनुपालन में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ऐसे अध्यापकों, जिनकी नियुक्ति प्रबंधतंत्र द्वारा माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 की धारा–16ई11 के तहत नियमानुसार की गयी है तथा जिनकी सेवाएँ शासनादेश दिनांक–09.11.2023 से समाप्त की गयी है, उन शिक्षकों को उक्त धारा–16ई11 का पालन करते हुए पूर्व की भांति वेतन व शर्तों पर निरन्तरता बनायी रखी जाये। उक्त के सम्बन्ध में सम्बन्धित शिक्षकों का भुगतान केवल उनके द्वारा किये गये वास्तविक कार्य के आधार पर

अभ्यर्थी उपलब्ध होने तक होगी, आयोग से चयनित अभ्यर्थी उपलब्ध होने के उपरांत इन शिक्षकों की सेवाएँ स्वतः समाप्त हो जायेगी। इन शिक्षकों द्वारा की गयी सेवा की गणना पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा के रूप में आगणित नहीं की जायेगी।

कृपया तद्नुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए कृत कार्यवाही की आख्या शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

20.11.2014

(पार्थ सारथी सेन शर्मा)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव,

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– मुख्य स्थायी अधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद, खण्डपीठ लखनऊ।
2– अपर शिक्षा निदेशक, माध्यमिक, उ0प्र0, प्रयागराज।
3– समस्त संयुक्त शिक्षा निदेशक, माध्यमिक, उ0प्र0।
4– समस्त उप शिक्षा निदेशक, माध्यमिक, उ0प्र0।
5– समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक, उ0प्र0।
6– समस्त याचीगण/तदर्थ शिक्षक(द्वारा शिक्षा निदेशक, माध्यमिक,उ0प्र0)
7– गाई फाइल।

आज्ञा से,

21/11/2014

(डॉ. अशोक कुमार कनौजिया)
विशेष सचिव।